भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4082

जिसका उत्तर सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

बीमा योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को प्राथमिकता

4082. एडवोकेट चन्द्र शेखर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न बीमा योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों को कोई प्राथमिकता दी है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा बीमा अभिगम में उक्त श्रेणियों को प्राथमिकता देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): 1 फरवरी, 2025 को केंद्रीय बजट में भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74% से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा की गई है।

भारत सरकार ने विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के लिए सार्वभौमिक और वहनीय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए, निम्नलिखित प्रमुख बीमा योजनाएं शुरू की हैं :

i. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण से हुई मृत्यु के मामले में 18-50 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को 436 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का बीमा कवरेज प्रदान करती है।

ii. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) 18-70 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को 20 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर आकस्मिक मृत्यु अथवा संपूर्ण स्थायी विकलांगता के मामले में 2 लाख रुपये और दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपये के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है।

iii. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) अस्पताल में माध्यमिक और तृतीयक चिकित्सा देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए वार्षिक का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।

iv. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) अप्रत्याशित प्राकृतिक खतरों के कारण फसल का नुकसान होने पर किसानों को सुरक्षा उपाय प्रदान करती है। इस योजना के तहत, किसानों द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5% निर्धारित किया गया है।

ये योजनाएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित भारत के सभी पात्र नागरिकों के लिए हैं।

इसके अलावा, पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत कवरेज और आउटरीच बढ़ाने के लिए, कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें 01.07.2025 से 2.70 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में "वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान" सहित बैंकों और स्थानीय प्रशासन की सक्रिय भागीदारी के साथ बुनियादी स्तर पर नियमित अभियान और इन योजनाओं से संबंधित सभी प्रासंगिक सामग्री/जानकारी को होस्ट करने के लिए जनसुरक्षा पोर्टल (www.jansuraksha.gov.in) का सृजन शामिल है।

इसके अतिरिक्त, इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों सहित सभी पात्र नागरिकों के लिए बैंकिंग सेवा प्रदायगी प्रणाली में अंतिम छोर तक लगभग 16 लाख बैंकिंग प्रतिनिधियों (बीसी) का एक सुदृढ़ नेटवर्क मौजूद है।

इसके अलावा, इन योजनाओं की कवरेज में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सभी बैंकों को लक्ष्यों का आबंटन और नियमित/आवधिक समीक्षा की जा रही है।

******

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4082

जिसका उत्तर सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

बीमा योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को प्राथमिकता

4082. एडवोकेट चन्द्र शेखर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न बीमा योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों को कोई प्राथमिकता दी है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा बीमा अभिगम में उक्त श्रेणियों को प्राथमिकता देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): 1 फरवरी, 2025 को केंद्रीय बजट में भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74% से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा की गई है।

भारत सरकार ने विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के लिए सार्वभौमिक और वहनीय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए, निम्नलिखित प्रमुख बीमा योजनाएं शुरू की हैं :

i. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण से हुई मृत्यु के मामले में 18-50 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को 436 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का बीमा कवरेज प्रदान करती है।

ii. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) 18-70 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को 20 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर आकस्मिक मृत्यु अथवा संपूर्ण स्थायी विकलांगता के मामले में 2 लाख रुपये और दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपये के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है।

iii. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) अस्पताल में माध्यमिक और तृतीयक चिकित्सा देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए वार्षिक का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।

iv. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) अप्रत्याशित प्राकृतिक खतरों के कारण फसल का नुकसान होने पर किसानों को सुरक्षा उपाय प्रदान करती है। इस योजना के तहत, किसानों द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5% निर्धारित किया गया है।

ये योजनाएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित भारत के सभी पात्र नागरिकों के लिए हैं।

इसके अलावा, पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत कवरेज और आउटरीच बढ़ाने के लिए, कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें 01.07.2025 से 2.70 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में "वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान" सहित बैंकों और स्थानीय प्रशासन की सक्रिय भागीदारी के साथ बुनियादी स्तर पर नियमित अभियान और इन योजनाओं से संबंधित सभी प्रासंगिक सामग्री/जानकारी को होस्ट करने के लिए जनसुरक्षा पोर्टल (www.jansuraksha.gov.in) का सृजन शामिल है।

इसके अतिरिक्त, इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों सहित सभी पात्र नागरिकों के लिए बैंकिंग सेवा प्रदायगी प्रणाली में अंतिम छोर तक लगभग 16 लाख बैंकिंग प्रतिनिधियों (बीसी) का एक सुदृढ़ नेटवर्क मौजूद है।

इसके अलावा, इन योजनाओं की कवरेज में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सभी बैंकों को लक्ष्यों का आबंटन और नियमित/आवधिक समीक्षा की जा रही है।

******